प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः 30.07.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 30.07.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना इमलिया सुल्तानपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 616/09 धारा 302/376 भादवि बनाम रामप्रताप दास उर्फ अरूण कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र सत्यपाल निवासी सदामऊ थाना माधौगंज जनपद हरदोई में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 30.07.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-17 सीतापुर द्वारा अभियुक्त रामप्रताप दास उर्फ अरूण कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 40,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

....